न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
176/2018	14.08.2018	03.03.2022

अनवान

1. अणछी देवी पत्नि मगनदास जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
2. संतोष देवी पत्नि सुरेश दास जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
3. नारायणी देवी पत्नि भगवानदास जाति वैष्णव उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ

.....वादीगण

।। **बनाम** ।।

1. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89,188 राज.काश्त. अधिनियम

उपस्थित – श्री फारुख मोहम्मद वकील वादीगण

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अंतर्गत आदेश 07 नियम 01, 02 जा0दी0 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा ग्राम सोहनखेडा प0ह0 बागुण्ड तहसील भदेसर में स्थित साबिक खाता संख्या 02 में अंकित आराजी नम्बर 1/21 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 2/14 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी

राजी नम्बर 2/2 रकबा 3 बीघा, आराजी नम्बर 2/6 रकबा 3 घा कुल किता 04 कुल रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा स्थित है, टलमेंट होने से हाल आराजी नम्बर 816, 817, 818, 819 ुल किता 04 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर कायम किये गये है। जबकि ादीगण साबिक रकबा अनुसार 2.19 हैक्टेयर होना चाहिए था। इस रह सेटलमेंट अधिकारियो ने वादीगण के रकबे में 0.81 हैक्टेयर की मी कर दी है परंतु वादीगण आज भी साबिक रेकार्ड के रकबे नुसार ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि भू प्रबंध कर्मचारियो को केवल मात्र पुराने इन्द्राज को वीन इन्द्राज में परिवर्तित करने का क्षैत्राधिकार रहता है लेकिन भू बंध कर्मचारियो ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर वादीगण के ामित्व एवं आधिपत्य की साबिक आराजीयात के सभी नम्बरान के कबे में कमी करते हुए कुलिया रकबे में से 0.81 हैक्टेयर भूमि को बिलानाम भूमि में दर्ज कर दिया जिससे वादीगण कमी किये गये रकबे की भूमि को पुनः अपनी खातेदारी में दर्ज करवा साबिक रेकार्ड अनुसार खातेदारी घोषणा करवा कर उसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी होने से वाद पत्र खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है।

भू प्रबंध अधिकारियो की त्रुटि से उपरोक्त नम्बरान वर्तमान राजस्व रेकार्ड के रकबे में 0.80 हैक्टेयर की कमी करते हुए भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया है जिससे प्रतिवादीगण वादीगण को आराजीयात से बेदखल करने पर अन्य को आवंटन करने पर आमादा हो रहे है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात से वादीगण को बेदखल नहीं करे ना हि बिलानाम की गई आराजीयात को अन्य को आवंटन या अन्य तरीके से हस्तांरित नहीं करे ना हि ऐसा कृत्य किसी नौकर एजेंट आदि से करावे।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 जा.दि. का नोटिस देना आवश्यक होता है परंतु प्रतिवादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजीयात से बेदखल अन्य को आवंटन करने पर आमादा हो रहे है ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का होने से बिना नोटिस दिये वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके लिये धारा 80(2) जा.दि. का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया है।

यह कि बिनाय मुखास्मत वाद कारण दिनांक 05.07.2018 को प्रतिवादी संख्या 01 के प्रतिनिधि द्वारा मौके पर आकर विवादित आराजीयात से वादीगण को कब्जा हटाने बाबत कहने एवं कब्जा नहीं हटाने पर अतिक्रमण की कार्यवाही करने की धमकी देने से पैदा होकर निरंतर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि–

क– वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि में साबिक रेकार्ड अनुसार कम किये गये रकबे 0.81 हैक्टेयर भूमि को पुनः वादी के खातेदारी में दर्ज करते हुए वादीगण को 2.19 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदारर काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे।

ख– प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी व आराजीयात को किसी तरह से हस्तांतरित न तो स्वयं करे ना अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी पेरोकार सरकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार भदेसर को मौका कमीश्नर नियुक्त कर कमीश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया जिस पर तहसीलदार भदेसर के पत्र क्रमांक/राजस्व /2022/222 दिनांक 23.02.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, रिपोर्ट अनुसार ग्राम सोहनखेडा प0ह0 बागुण्ड के पूर्व आराजी नम्बर 1/21 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 2/14 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 2/2 रकबा 3 बीघा, आराजी नम्बर 2/6 रकबा 3 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर 816, 817, 818, 819 कुल किता 04 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर का मौका देखा गया। बरूए रेकार्ड उपरोक्त नवीन आराजी किता 4 रकबा 1.38 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है एवं वर्तमान में इसमें सरसो की फसल काश्त की हुई है एवं इन्हीं आराजी नं0 816 से 819 जो सोहनखेडा एवं इसी पटवार मण्डल के कुरेठा ग्राम की सीमा पर स्थित है। चूंकि प्रार्थी की रेकार्डशुदा भूमि सोहनखेडा की सीमा पर है एवं कुरेठा की सीमा में स्थित कुरेठा की नवीन आराजी नम्बर 41 एवं 42 जो कि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है, इस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है जो प्रार्थी द्वारा कय किये गये 10 बीघा 3 बिस्वा के मुकाबले बराबर होता है। सोहनखेडा में प्रार्थी की आ0नं0 816 से 819 का रकबा 1.38 हैक्टेयर ही कायम किया गया है तथा कमी रकबा कुरेठा की आ0नं0 41 रकबा 0.16 हैक्टेयर एवं आ0नं0 42 रकबा 0.72 हैक्टेयर में मौका अनुसार परिलक्षित है। नवीन नक्शे सोहनखेडा एवं कुरेठा को मिलान करने पर प्रार्थी की भूमि मौके अनुसार 10 बीघा 3 बिस्वा के नवीन रकबे 2.25 हैक्टेयर अनुसार बनती है तथा प्रार्थी इसी प्रकार काबिज है।

लायक अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण भूप्रबंध से पहले से ही काबिज होकर काश्त उपयोग उपभोग कर रहा है। भूप्रबंध द्वारा वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी

ातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात को बिना किसी सक्षम देश के बिलानाम दर्ज कर दिया जिसे पुनः वादीगण की खातेदारी में र्ज किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष अभिलेख का अधोपरान्त अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर न्यायालय वादीगण के कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत है,वकील वादीगण के कथन से सहमत है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन,प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट के आलोक में वाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि कृषि आराजीयात मौजा ग्राम सोहनखेडा प0ह0 बागुण्ड के पूर्व आराजी नम्बर 1/21 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 2/14 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 2/2 रकबा 3 बीघा, आराजी नम्बर 2/6 रकबा 3 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि सेटलमेंट से पूर्व वादीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी परंतु सेटलमेंट के बाद वादीगण की उक्त आराजीयात के हाल आराजी नम्बर 816, 817, 818, 819 कुल किता 04 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर कायम करते हुए प्रबंध अधिकारियों ने वादीगण के 0.81 हैक्टेयर रकबे को बिलानाम सरकार दर्ज करते हुए विलोपित कर दिया। वर्तमान में वादीगण इसी पटवार मण्डल के ग्राम कुरेठा की बिलानाम आराजी जो कि सोहनखेडा-कुरेठा की सीमा पर नवीन आराजी नम्बर 41 रकबा 0.16 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 42 रकबा 0.72 हैक्टेयर भूमि पर काबिज होकर काश्त उपयोग उपभोग कर रहे है। नवीन नक्शे सोहनखेडा एवं कुरेठा को मिलान करने पर प्रार्थी की भूमि मौके अनुसार 10 बीघा 3 बिस्वा के नवीन रकबे 2.25 हैक्टेयर अनुसार बनता है। अतः वादीगण के कमी रकबे की क्षतिपूर्ति ग्राम कुरेठा की नवीन आराजी नम्बर 41 रकबा 0.16 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 42 रकबा 0.72 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.86 हैक्टेयर से की

उपखण्ड अधिकारी

ाकर आराजी नम्बर 41एंव 42 का खातेदार काश्तकार घोषित किया
कर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी
नुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। इसी आशय का
र्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया
ाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,